रथनायाह

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 471/2008)

11 मार्च, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.)

दंड संहिता, 1860, धारा 324 सपठित धारा 34, 342 और 376

गैर औचत्यपूर्ण आदेष- बलात्कार, विचारणीय न्यायालय ने आरोपी और अन्य को बलात्कार का अपराध करने के लिये दोषी ठहाराया, दोषसिद्ध किया व तदनुसार सजा सुनाई-उच्च न्यायालय द्वारा अपील में अपीलार्थी को छोडकर अन्य के खिलाफ सजा की पुष्टि की। अपील में अभिनिर्धारित किया। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने के लिये प्रतिपक्षी के साक्ष्य का उचित विश्लेषण नहीं किया इसलिये नये सिरे से निस्तारण के लिये उच्च न्यायालय को मामला भेजा गया। गैर औचित्यपूर्ण आदेश।

बलात्कार के आरोपी अभिलार्थी पर बलात्कार के अपराध के लिये मुकदमा चलाया गया तथा विचारनीय न्यायालय में उसे धारा 376 सपठित धारा 324, 342 व 34 में 7 साल की सजा सुनायी व अन्य आरोपों कौ एक साल की सजा सुनाई। जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी व सजा की पुष्टि की लेकिन अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सजा को कम कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपील के निस्तांरण में साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया उस पर भी कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किये जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

अपील को अनुमति दी गई। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जिस तरीके से अपील का निस्तारण किया गया है। वह अपील के निस्तारण का सही तरीका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के तर्कों को देखा नहीं गया और साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में विष्लेषण करने के लिए कोई विषेष प्रयास नहीं किया गया इसलिए मामला कानून के अनुसार निस्तारण के लिए नए सिरे से उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 2008 का संख्या 471

आपराधिक अपील नं. 553/2001 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 27.7.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से गिरीश अनंतमूर्ति और पी.सी. सिंह।

जवाबदाता की ओर से संजय आर. हेगडे, अमित के. चावला और अरूल वर्मा।

न्यायालय का निर्णय (न्यायधिपति डॉ0 अरिजीत पसायत)

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीष द्वारा पारित आदेष द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करने के आदेष को की गई है। अपीलार्थी द्वारा धारा 376, 324, 342 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा का सामना किया, और उसे 7 साल एक साल व 6 महीने की सजा सुनाई गई, तथा अन्य आरोपियों को एक साल और 6 महीने की सजा सुनाई

गयी। जो धारा 324 सपठित धारा 34 व धारा 342 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता में सुनाई गई थी।

3. उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसे आपराधिक अपील संख्या 553/2001 के रूप में क्रमांकित किया गया। आक्षेपित आदेष के अनुसार जहां तक वर्तमान अपील का संबंध है, दोषसिद्धी और सजा की पुष्टि की गई, जबकि अन्य आरोपी व्यक्तियों के संबंध में सजा कम कर दी गई। लेकिन जुमाने की राषि बढाई गई।

4. उच्च न्यायालय ने व्यावहारिक रूप से गैर तर्कपूर्ण आदेष द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। विवादित निर्णय में निष्कर्ष निकले जो इस प्रकार है।

"3. वास्तव में अभियोजन पक्ष और विचारणीय न्यायालय ने दोनों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया। दो मौको पर बलात्कार के कृत्यों को अंजाम दिया था, जो अलग-अलग अपराध हैं। अभियुक्त पर बलात्कार की दोनों घटनाओं के लिए अलग-अलग आरोप पत्र पेश करके मुकदमा चलाना जाना चाहिये था। अभियोजन पक्ष ने बलात्कार की दूसरी घटना की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को दोषी कारित करने के लिए सबूत पेश किये हैं। तदनुसार विचारणीय न्यायालय में आरोपी को धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत सही दोषी ठहराया है"

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये कि उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार करते हुए साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं किया और विभिन्न मामलों में कोई निष्कर्ष भी दर्ज नहीं किया।

6. जबाव में प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किये कि उच्च न्यायालय ने निर्णय व कानूनों का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन रिकॉर्ड पर

उपलब्ध साक्ष्य इस अंतिम निष्कर्ष को सही ठहराते हुए अपील खारिज की जानी चाहिए थी।

7. जिस तरह अपील का निस्तारण किया गया। वह अपील के निस्तारण का सही तरीका नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपक्षी के तर्को और साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

8. उपर्युक्त स्थिति के अनुसार, हम उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और कानून के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिये प्रेषित करते हैं।

9. अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा वर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।